न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 172/2020(2020/00237)

अनवान : –

1. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. मदनसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. भगवानसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
5. धर्मी पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोशणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 120/113 के मु0न0 19 के किला न0 1, 10, 11 मु0 न0 20 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15 कुल किता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 133/131 के मु0 न0 1 के किला न0 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 2 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 14 की कुल 3.1500 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से ासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हरसुख की खातेदारी हुआ करती थी। हरसुख से वादभूमि प्रतिवादी को [illegible] प्रदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हरिराम ने अपने नाम [illegible] दर्ज करवा लिया। [illegible]कार वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 [illegible] जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हरिराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम को वादी के दादा हरसुख से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 4 एसडीआर सम्वत 2029–2038 के खाता संख्या 51 एवं जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 15 एएमएस सम्वत 2029–2038 के खाता संख्या 64 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/6 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 4 ता 5 वादी की बहिने है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि पर केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 120/113 के मु0न0 19 के किला न0 1, 10, 11 मु0 न0 20 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15 कुल किता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 133/131 के मु0 न0 1 के किला न0 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 2 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 14 की कुल 3.1500 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी भूपसिंह पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा चालू जमाबन्दी चक 4 एसडीआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 120/113 प्रदर्श 1, चालू जमाबन्दी चक 15 एएमएस सम्वत 2076–79 खाता संख्या 133/131 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी चक 13 एएमएस सम्वत 2033 खाता संख्या 6 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबड़ी के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, भू प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी चक 4 एसडीआर सम्वत 2029–38 खाता संख्या 51 प्रदर्श 4, भू प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी चक 15 एएमएस सम्वत 2029–[illegible] खाता संख्या 64 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद भूमि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 120/113 के मु०न० 19 के किला न० 1, 10, 11 मु० न० 20 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 15 कुल किता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 133/131 के मु० न० 1 के किला न० 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु० न० 2 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 14 की कुल 3.1500 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 120/113 के मु०न० 19 के किला न० 1, 10, 11 मु० न० 20 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 15 कुल किता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 133/131 के मु० न० 1 के किला न० 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु० न० 2 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 14 की कुल 3.1500 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी भूपसिंह एवं प्रतिवादी सं 1 हरिराम, प्रतिवादी संख्या 2 मदनसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 भगवानसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़